न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री सोनू कुमार गुर्जर, आर.ए.एस.

मु.नं. 113/26

दायर दिनांक 08.05.2026
निर्णय दिनांक 12.05.2026

श्री विजयपाल पुत्र लखमा निवासी वाडा पुनाली तह. दोवडा जिला डूंगरपुर

वादी

–: बनाम :–

भूमिधारी जरिये तहसीलदार दोवडा जिला डूंगरपुर

विपक्षी

राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

–: निर्णय :–

प्रार्थी श्री विजयपाल पुत्र लखमा निवासी वाडा पुनाली रात्रि चौपाल के दौरान एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि इनका नाम जमाबंदी में त्रुटिपुर्ण नाम वजा पुत्र लखमा दर्ज हो गया है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम विजयपाल पुत्र लखमा दर्ज है। प्रार्थी के आधार कार्ड पेन कार्ड बैके खाते की पास बुक आदि में भी विजयपाल पुत्र लखमा दर्ज है। जमाबंदी में त्रुटिपुर्ण नाम को विलोपित किया जाकर विजयपाल पुत्र लखमा किया जाने निवेदन किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र की जांच पटवारी हल्का पुनाली एवं भू अभिलेख निरिक्षक से करायी जाने पर खातेदार विजयपाल पुत्र लखमा का नाम मौजा वाडा पुनाली की जमाबंदी संवत 2078 के खाता संख्या 26 में वजा पुत्र लखमा दर्ज हो गया है जबकि पहचान के अन्य सभी दस्तावेजो में विजयपाल पुत्र लखमा दर्ज करवाना चाहता है नाम शुद्धि कराने की बाबत् प्रार्थना पत्र तहसीलदार दोवडा को अग्रेषित होने पर पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक पुनाली कि रिपोर्ट के अनुसार शुद्धि की अनुशंषा गयी।

प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा श्री कालू राम पिता मनजी भील निवासी वाडा पुनाली एवं हितेश कुमार पिता विजयपाल भील निवासी वाडा पुनाली का शपथ पत्र लेकर बयान लिये गये जिसमें दोनो गवाहो ने प्रार्थी विजयपाल पिता लखमा भील का जमाबंदी 2078 के खाता संख्या 26 में इनका नाम वजा पिता लखमा दर्ज हो गया है जो गलत है। राजस्व रिकॉर्ड में इनका सही नाम विजयपाल पुत्र लखमा दर्ज किया जान सहमति व्यक्त की गयी। प्रकरण के साथ जन आधार कार्ड, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड आदि प्रस्तुत किये गए जिनमें प्रार्थी के सभी दस्तावेज विजयपाल पुत्र लखमा के नाम अंकित है।

प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी मौजा वाडा पुनाली के खाता संख्या 26 नया एवं 106 पुराना में प्रार्थी का त्रुटिपूर्ण नाम वजा पुत्र लखमा को विलोपित करते हुये सही नाम विजयपाल पुत्र लखमा दर्ज करने आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार दोवडा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार हो।

(सोनू कुमार गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर